

३०/१२/२०

३०/१०/२०२१

समस्त प्रसिद्धी कार्यालय वरिष्ठ अधिकारियों
कार्यालय वरिष्ठ (जय) कार्यालय को ज्ञात करा

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम



फर्द अहकाम

य सहायक कमिश्नर जयपुर

बनाम हरिनारायण शेटाण

संख्या / वर्ष : फरफ- 07 / 2020 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>द्वारा- निम्न कर व्यापारिक संपत्ति पर व्यापारिक संपत्ति संपत्ति का शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया है। यदि बाक्युक्त अर्थों में कोई भी व्यक्ति या संस्था इस निर्देश को नहीं मानती है तो उसे जमानत देना होगा।</p> <p>सहायक कमिश्नर जयपुर शहर प्रथम</p>	